कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)ए के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय–राजनीति विज्ञान (पुरुष/महिला) वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–6/राज. विज्ञान/डीपीसी 2015–16/महिला–पुरुष/15 दिनांक 25.08.15 द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे ।

उक्त जारी आदेश 25.08.15 में आदेश संख्या–1 में क्रम संख्या 12 पर अंकित कार्मिक श्री गुलाब सिंह स्थाई वरिष्ठता क्रमांक 1427/1 वरिष्ठता अवधि 2000–01 जन्मतिथि 01.02.1971 द्वारा पदोन्नत पदस्थापन स्थान राउमावि उंदरा, सेवर, भरतपुर में दिनांक 27.08.15 को कार्यग्रहण किया गया जिनका दिनांक 30.10.2020 को निधन होने के कारण दिनांक 30.10.2020 से सेवा समाप्त होने पश्चात पैंशन विभाग में प्रस्तुत पारिवारिक पैंशन प्रकरण में कार्मिक श्री गुलाब सिंह के दिनांक 31.05.2002 के पश्चात् तीसरी संतान के संबंध में एसीपी की समीक्षा करवाने का आक्षेप लगाया गया था। उक्त तीसरी संतान के संबंध में एसीपी की समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर के पत्रांक संनि/भरत/माध्य/संस्था–4/फा–गुलाब/2021–22/6 दिनांक 05.07.2021 अनुसार तीन सदस्य कमेटी द्वारा परीक्षण किया गया जिसमें उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान संबंधि कूटरचित/मिथ्या शपथ पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत कर विभाग को गुमराह करते हुए गलत परिलाभ प्राप्त किये।

अतः कार्मिक स्व. श्री गुलाब सिंह द्वारा कूटरचित/मिथ्या शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 25.08.2015 में आदेश संख्या–1 में क्रम संख्या 12 पर अंकित कार्मिक श्री गुलाब सिंह व्याख्याता राजनीति विज्ञान का आदेश इनकी हद तक प्रत्याहरित किया जाता है।

Rajasthan Education Department

(कानाराम)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/डीपीसी/2020–21/1 दिनांक– 15/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्–

1 शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर को उक्तानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही बाबत्।
6 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)/संस्था प्रधान ....।
7 अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8 संबधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान।
9 सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/संस्थापन ए.वी।
10 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर